न्यायालय मे श्री मान सदस्य राजस्व मंडल ग्वलियर महोदय

[redacted] म0प्र0

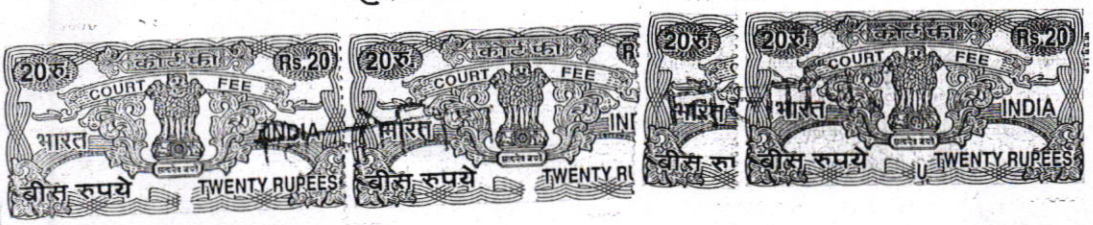

हरिहर प्रसाद मिश्रा पिता स्व0 रामप्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम घंघरी थाना उमरिया जिला उमरिया म0प्र0 .....अपीलार्थी,

बनाम

II/अपील/उमरिया/म0प्र0/2017/6274

1. म0प्र0शासन
2. देवेन्द्र सिंह पिता बब्बू सिंह
3. पुष्पेन्द्र सिंह पिता बब्बू सिंह

दोनो निवासी ग्राम घंघरी थाना उमरिया जिला उमरिया म0प्र0

.....उत्तरदाता गण

अपील बिरूद्व आदेश श्रीमान आयुक्त महोदय शहडोल के राजस्व प्रकरण कमांक 160/अपील/2016–17 आदेश दिनांक 18.9.2017 अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू0राज0 संहिता 1959 तृतीय अपील,

मान्यवर,

अपील का संक्षिप्त बिवरण निम्नांकित है–

यह कि उत्तरदाता द्वारा अपीलार्थी के बिरूद्व राजस्व प्रकरण कमुंक 1/अ–68/1998–99 आदेश पारित दिनांक 13.9.1999 को म0प्र0शासन की भूमि आराजी खसरा नं0 381 रकबा 0.057हे0 भूमि अबैध अतिक्रमण होने के सम्बन्ध मे मुकदमा पंजीबद्व किया जाकर कार्यवाही की गई थी उक्त प्रकरण मे बिना सीमांकन किए मनमानी तरीके से ग्राम के कुछ व्यक्तियो के शिकायत के आधार पर प्रकरण मे अपीलार्थी के बिरूद्व बेदखली आदेश पारित किया था जिस पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया था कि अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 शासन की भूमि पर अतिक्रमण नही किया है जो भी अतिक्रमण था हटा लिया गया उक्त प्रतिवेदन के पश्चात सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त हो गई थी। किन्तु ग्राम घंघरी के राजनैतिक व्यक्तियो द्वारा अपीलार्थी को परेशान करने की नियत से पुनः शिकायत प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी अतिक्रमण किया गया है जिस पर तत्कालीन तहसीलदार महोदय बांधवगढ,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

क्रमांक दो–अपील/उमरिया/भू.रा./2017/6274

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	अपीलांट के अभिभाषक को अपील की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्र.क. 160/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–9–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपीलांट के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार बॉधवगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 29–1–13 (अतिक्रमण स्वरूप बेदखल करने का आदेश) के विरूद्व अपीलांट ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी बॉधवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की है , जो आदेश दिनांक 25–7–17 से निराकृत हुई है। अनुविभागीय अधिकारी बॉधवगढ़ के आदेश दिनांक 25–7–17 के विरूद्व अपीलांट ने द्वित्तीय अपील आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष प्रस्तुत की है , जो आदेश दिनांक 19–8–17 से निराकृत हुई है। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 19–8–17 के विरूद्व यह तीसरी अपील राजस्व मंडल,म0प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट ने आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 19–8–17 से परिवेदित होकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में **W.P. 19992/2017** दायर की थी जो आदेश दिनांक 27–11–2017 से निराकृत हुई है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27–11–2017 का अॅश	

उद्धरण इस प्रकार है –

" Since the petitioner has a remedy under the provision of Land Revenue Code and can file a Revision before the Board of Revenue, the petition stand disposed of with liberty to the petitioner to approach before the Board of Revenue by filing a Revision along with application for stay. "

जबकि अपीलांट ने निगरानी प्रस्तुत न करते हुये म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अंतर्गत यह तीसरी अपील राजस्व मंडल, म0 प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत की है एंव अपीलांट के अभिभाषक ने अपील को निगरानी में बदलकर सुने जाने हेतु आवेदन भी नहीं दिया है एंव अपील की ग्राह्यता पर किये जा रहे तर्को के दौरान भी तदाशय की मांग नहीं की है।

4/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अवलोकन से पाया गया कि संहिता की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान नहीं होने से अपील अग्राह्य है जो अमान्य की जाती है।

सदस्य